



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 भाद्र 1941 (श10)

(सं० पटना 1046) पटना, वृहस्पतिवार, 5 सितम्बर 2019

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

5 सितम्बर 2019

एस० ओ० 357, दिनांक 5 सितम्बर 2019— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, करदाताओं के निम्नलिखित वर्ग द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलम्ब फीस की रकम का अधित्यजन करते हैं :-

- (i) ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनके कारबार का मुख्य स्थान नीचे सारणी के स्तंभ (3) में उल्लिखित जिले, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में यथा उल्लिखित राज्य में है, जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपए से अधिक है, जिन्होंने मास जुलाई, 2019 के लिए, बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक प्रदायों के ब्यौरे, सामान्य पोर्टल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक रूप से 20 सितम्बर, 2019 को या उससे पहले प्रस्तुत कर दिए हैं ;
- (ii) ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनके कारबार का मुख्य स्थान जम्मू-कश्मीर राज्य में है, जिनकी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपए से अधिक है, जिन्होंने मास जुलाई, 2019 के लिए, बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक प्रदायों

के ब्यौरे, सामान्य पोर्टल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक रूप से 20 सितम्बर, 2019 को या उससे पहले प्रस्तुत कर दिए हैं ;

- (iii) ऐसे इनपुट सेवा वितरक, जिनके कारबार का मुख्य स्थान पूर्वोक्त सारणी के स्तंभ (3) में उल्लिखित जिले, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में यथा उल्लिखित राज्य में है, जिन्होंने मास जुलाई, 2019 के लिए, बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के प्ररूप जीएसटीआर-6 में विवरणी, सामान्य पोर्टल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक रूप से 20 सितम्बर, 2019 को या उससे पहले प्रस्तुत कर दी है ;
- (iv) ऐसे इनपुट सेवा वितरक, जिनके कारबार का मुख्य स्थान जम्मू-कश्मीर राज्य में है, जिन्होंने मास जुलाई, 2019 के लिए, बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के प्ररूप जीएसटीआर-6 में विवरणी, सामान्य पोर्टल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक रूप से 20 सितम्बर, 2019 को या उससे पहले प्रस्तुत कर दी है ;

सारणी

क्र. सं.	राज्य का नाम	जिला का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	बिहार	अररिया, किशनगंज, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, पश्चिमी चंपारण ।
2.	गुजरात	बदोदरा ।
3.	कर्नाटक	बागलकोट, बेल्लारी, बेलाग्वी, चामराजनगर, चिकमगलुर, दक्षिण कन्नड़, देवांगिरी, धारवाड़, गड़ग, हसन, हावेरी, कलाबुर्गी, कोड़ागु, कोप्पल, माण्डया, मैसूर, रायचूर, शिवामोग्गा, उदीपी, उत्तर कन्नड़, विजयपुरा, यादगिर ।
4.	केरल	इडुक्की, मलप्पुरम, वायनाड, कोझीकोड ।
5.	महाराष्ट्र	कोल्हापुर, सांगली, सतारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालधार, नासिक, अहमदनगर ।
6.	ओड़िशा	बालंगीर, सोनपुर, कालाहाण्डी, नुवापाड़ा, कोरापुट, मलकानगिरी, रायगढ़, नबरंगपुर ।
7.	उत्तराखंड	उत्तरकाशी और चमोली

2. यह अधिसूचना दिनांक 31 अगस्त, 2019 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी ।

[(सं० सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-7) 2641)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

5 सितम्बर 2019

एस० ओ० 357, दिनांक 5 सितम्बर 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं० सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-7) 2641)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 5th September 2019

S.O. 357, Dated 5th September 2019— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of late fee payable under section 47 of the said Act, by the following class of taxpayers: –

- (i) the registered persons whose principal place of business is in the district mentioned in column (3) of the Table below, of the State as mentioned in column (2) of the said Table, having aggregate turnover of more than 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, who have furnished, electronically through the common portal, details of outward supplies in **FORM GSTR-1** of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, for the month of July, 2019, on or before the 20th September, 2019;
- (ii) the registered persons whose principal place of business is in the State of Jammu and Kashmir, having aggregate turnover of more than 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, who have furnished, electronically through the common portal, details of outward supplies in **FORM GSTR-1** of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, for the month of July, 2019, on or before the 20th September, 2019;
- (iii) the Input Service Distributors whose principal place of business is in the district mentioned in column (3) of the above said Table, of the State as mentioned in column (2) of the said Table, who have furnished, electronically through the common portal, return in **FORM GSTR-6** of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, for the month of July, 2019, on or before the 20th September, 2019;
- (iv) the Input Service Distributors whose principal place of business is in the State of Jammu and Kashmir, who have furnished, electronically through the common portal, return in **FORM GSTR-6** of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, for the month of July, 2019, on or before the 20th September, 2019.

Table

Sl. No.	Name of State	Name of District
(1)	(2)	(3)
1.	Bihar	Araria, Kishanganj, Madhubani, East Champaran, Sitamarhi, Sheohar, Supaul, Darbhanga, Muzaffarpur, Saharsa, Katihar, Purnia, West Champaran.

Sl. No.	Name of State	Name of District
(1)	(2)	(3)
2.	Gujarat	Vadodara.
3.	Karnataka	Bagalkot, Ballari, Belagavi, Chamarajanagar, Chikkamagalur, Dakshina Kannada, Davanagere, Dharwad, Gadag, Hassan, Haveri, Kalaburagi, Kodagu, Koppal, Mandya, Mysuru, Raichur, Shivamogga, Udupi, Uttara Kannada, Vijayapura, Yadgir.
4.	Kerala	Idukki, Malappuram, Wayanad, Kozhikode.
5.	Maharashtra	Kolhapur, Sangli, Satara, Ratnagiri, Sindhudurg, Palghar, Nashik, Ahmednagar.
6.	Odisha	Balangir, Sonapur, Kalahandi, Nuapada, Koraput, Malkangiri, Rayagada, Nawarangpur.
7.	Uttarakhand	Uttarkashi and Chamoli

2. This notification shall come into force with effect from 31st August, 2019.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017(Part-7)2641)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1046-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>